अतिशीघ्र
आर.टी.आई.

समाज कल्याण विभाग

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार,
जी.एल.एन.एस. परिसर, दिल्ली गेट, नई दिल्ली–110002.
(विकलांग कल्याण शाखा)

मिसिल सं० 82/995/RTI/AD-III/DSW/2014/ दिनांकः

सेवा में,

श्री नन्द लाल
पता– ए.–654, कैम्प नं.–4,
सुन्दर विहार, ज्वालापुरी,
दिल्ली–110087.

विषयः सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना।
सन्दर्भः ID No. 201420/RTI Cell/DSW/2014-15, dt. 28/04/2014.

श्रीमान्,

आपके द्वारा लिखा गया पत्र सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत इस शाखा में वरिष्ठ अधीक्षक, आर.टी.आई.सेल द्वारा पत्र सं. आई.डी.201420/आर.टी.आई.सेल/डी.एस.डब्ल्यू/2014–15/1043, दिनांक 01.05.2014 द्वारा विकलांग कल्याण शाखा में दिनांक 01.05.2014 को प्राप्त हुआ। आर.टी.आई. पत्र का प्रश्न 1 से 4 एवं 8 विकलांग कल्याण शाखा से संबंधित नहीं है। आपके द्वारा मॉगी गयी उपलब्ध सूचना की जानकारी निम्न प्रकार हैः–

प्र.सं.	प्रश्न	जवाब
5.	आपके विभाग द्वारा विकलांगों को सहायक उपकरण देने की योजना को क्यों लागू नहीं किया जाता, जानकारी उपलब्ध कराऍ।	पिछले पांच वर्षों से समाज कल्याण विभाग द्वारा भगवान महावीर विकलांग सहायता समीति (एन.जी.ओ.) के सहयोग से विकलांगों हेतु प्रत्येक वर्ष दिल्ली के प्रत्येक जिले में Special Disability Camp चलाये जाते हैं जिसके अन्तर्गत विकलांगों को मुफ्त सहायक उपकरण (Aid and Appliances) प्रदान की जाती है। जिसकी सूचना समय–समय पर समाचार पत्रों के माध्यम से प्रकाशित की जाती है।
6.	आपके विभाग के सभी कार्यालय क्या विकलांगों को सुविधा अनुसार विकलांग अधिनियम 1995 के अनुसार बनाये गये है या नहीं। यदि हॉ तो कहां–कहां सूची उपलब्ध कराएं, और नहीं तो क्यों कारण सहित जानकारी उपलब्ध कराएं।	समाज कल्याण विभाग के जिला कार्यालयों में जन सम्पर्क संबंधी कार्य भूमि तल पर ही हो रहे हैं। जिला कार्यालयों की सूची संलग्न है।
7.	आपके विभाग के जो कार्यालय प्रथम, द्वितीय, तृतीय या अन्य स्थानों पर बनाए गए हैं, वहां पर विकलांग लोगों को आपका विभाग किस तरह सुविधा उपलब्ध करता है, जानकारी उपलब्ध कराएं।	विकलांग लोगों से संबंधी कार्य भूमि तल पर ही किये जा रहे हैं।

9.	विकलांगता अधिनियम 1995 के अनुसार आपके विभाग ने क्या–क्या कार्य किए हैं, जानकारी उपलब्ध कराएं।	विकलांगता अधिनियम 1995 के अनुसार जो कार्य किये जा रहे हैं उसकी सूची संलग्न है।

यदि, इस जबाव से आप संतुष्ट नहीं है, तो प्रथम अपीलीय अधिकारी/अतिरिक्त निदेशक, समाज कल्याण विभाग से अपील हेतु सम्पर्क कर सकते हैं।

भवदीय

(कृष्ण कुमार)
जन सूचना अधिकारी/सहायक निदेशक

Annexure 'A'

Address of District Social Welfare officers, GNCT of Delhi Offices

1. DSWO (West), Nirmal Chayya Complex, Jail Road, New Delhi.
2. DSWO (NW-1), Nursery and Primary School for Deaf & Dumb, Vishram Chowk, Sector-IV, Rohini, Delhi.
3. DSWO (South-West)), C-22-23, Udyog Sadan, Qutab Institutional Area, New Delhi.
4. DSWO (New Delhi), 1 Canning Lane, KG Marg, New Delhi.
5. DSWO (Central), GLNS Complex, Delhi Gate, New Delhi.
6. DSWO (South), Village Cottage Home-1, Kasturba Niketan Complex, Lajpat Nagar, New Delhi-110024.
7. DSWO (North), ICDS Office, Near Super Bazar, Gulabi Bagh, Delhi.
8. DSWO (NW-II), Department of Social Welfare, Sector-4, Vishram Chowk, Delhi.
9. DSWO (North- East), Sankar Ashram, Dilshad Garden, Delhi.
10. DSWO(East), Block-10, Geeta Colony, Near Maharishi Balmiki College, Old Silai Centre, Delhi.

Annexure 'B'

विकलांगता अधिनियम 1995 के अन्तर्गत समाज कल्याण विभाग द्वारा किये गये कार्य

1. सेक्शन 13 एवं 19 के अन्तर्गत राज्य समन्वय समीति एवं राज्य कार्यकारी समीति का गठन किया गया है।

2. सेक्शन 42 के अन्तर्गत विकलांग व्यक्तियों को विकलांग शिविरों के माध्यम से निःशुल्क सहायक उपकरण प्रदान किये जाते हैं।

3. सेक्शन 52 के अन्तर्गत विकलांगता के क्षेत्र में काम कर रही गैर सरकारी संस्थाएं (एन.जी.ओ.) पहचान (Recognistion Certificate) प्रमाण पत्र प्रदान करने का कार्य।

4. सेक्शन 60 के अन्तर्गत आयुक्त (विकलांगता) की नियुक्ति का कार्य।